अध्याय - IV

परियोजना से प्राप्तियाँ

यह अध्याय सरयू नहर परियोजना के क्रियान्वयन/निष्पादन से अपेक्षित प्राप्तियों के सापेक्ष उपलब्धियों से संबंधित है।

लेखापरीक्षा उद्देश्यः *क्या अपेक्षित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का सृजन एवं उपयोग हुआ ?*

अध्याय का सारांश

- सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत, 894 नहरों का निर्माण कर 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में खरीफ और रबी फसलों में 14.04 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जाना था। यद्यपि, विभाग द्वारा नहरवार निर्माण की स्थिति प्रदान नहीं की गयी जिसके कारण नहरों के निर्माण की समग्र स्थिति तथा परियोजना के अंतर्गत कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन को लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं किया जा सका।
- यह परियोजना दिसंबर 2021 में लोकार्पित की गयी। यद्यपि, मार्च 2022 तक, 5,377.44 किलोमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 228.47 किलोमीटर राजवाहा तथा अल्पिका नहरों का निर्माण नहीं हुआ। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये 17 खण्डों में, 432 नहरों में से 29 नहरों का निर्माण या तो हुआ नहीं या इन्हें टुकड़ो में निर्मित किया गया था।
- समादेश क्षेत्र के विकास का कार्य भी पिछड़ा हुआ था तथा परियोजना के अंतर्गत 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन के सापेक्ष मात्र 20 प्रतिशत क्षेत्र में ही समादेश क्षेत्र विकास का कार्य हुआ था।
- नहरों से खेतों तक जल पहुंचाने के लिये कुलाबों और सम्प्स का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ था।

4.1 परिचय

सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत 2019-20[1] तक, उत्तर प्रदेश के नौ पूर्वी जिलों के 11.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का सृजन अपेक्षित था। एक नहर तंत्र, जिसमें मुख्य नहरें (257.367 किलोमीटर), शाखा नहरें (776.606 किलोमीटर) तथा राजवाहा एवं अल्पिका नहरें (5,377.44 किलोमीटर) सम्मिलित थीं, बनाया जाना था जिससे 14.04 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता[2] (खरीफ: 9.24 लाख हेक्टेयर और रबी: 4.80 लाख हेक्टेयर) प्राप्त करने हेतु सिंचाई का जल खेतों तक पहुँचाया जा सके। सिंचाई के लिये कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से परियोजना में वर्तमान फसल पद्धति में परिवर्तन का भी लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त, फसलों की उत्पादकता को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

4.2 परियोजना की पूर्णता एवं लोकार्पण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण के कार्य 2003-04 की लक्षित तिथि तक पूर्ण नहीं हुए थे तथा मार्च 2022 तक किये जाते रहे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना के वर्ष 2017 में हुए लागत संशोधन तक भी 540.03 किलोमीटर नहरें अपूर्ण थीं। कई नहरों में गैप था जिसके कारण नहरों के बीच हाइड्रोलिक संयोजन स्थापित नहीं हो पाया था। इसके कारण, लगभग 3.10 लाख हेक्टेयर सृजित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र सूखा रहा तथा प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्मित नहरों के उपयोग का लक्ष्य वर्ष 2017 तक आंशिक रूप से ही प्राप्त हो सका था। इसी प्रकार से, तृतीय चरण का कार्य मार्च 2022 तक किया जाता रहा, जबकि इन्हें मूल रूप से 2014[3] तक पूर्ण कर लिया जाना था।

परियोजना दिसंबर 2021 में लोकार्पित हुयी। यद्यपि, सरयू नहर परियोजना के मुख्य अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार, मार्च 2022 तक 5,377.44 किलोमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 228.47 किलोमीटर राजवाहा और अल्पिका नहरों का निर्माण नहीं हुआ। नमूना जांच किये गये खण्डों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि नवंबर 2023 तक कई नहरों का निर्माण या तो प्रारंभ नहीं हुआ था या उनमें गैप था।

मार्च 2022 तक लगभग 228.47 किलोमीटर राजवाहा और अल्पिका नहरों का निर्माण नहीं किया गया।

[1] विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017 के अनुसार|

[2] खरीफ और रबी के मौसम में सकल सिंचाई|

[3] पूर्ण होने की संशोधित तिथिः दिसंबर 2019|

उपरोक्त के अतिरिक्त, नहरों पर कुलाबे एवं सम्प्स भी अपूर्ण थे। सरयू नहर परियोजना के मुख्य अभियंताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार सरयू नहर परियोजना के कार्यों के लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष उपलब्धियों का विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: कार्यों के पूर्ण होने का लक्ष्य और उपलब्धि

अवयव	लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2022 तक)
(1)	(2)	(3)
मुख्य नहरें (किलोमीटर)	257.367	257.367
शाखा नहरें (किलोमीटर)	776.606	776.606
राजवाहा एवं अल्पिका नहरें (किलोमीटर)	5,377.440	5148.970
पंप नहरें (संख्या)	04	04
नाला (किलोमीटर)	3996.660	3858.210
कुलाबा (संख्या)	17639	16585
सम्पस (संख्या)	942	शून्य

(स्रोतः, सरयू नहर परियोजना के मुख्य अभियंताओं द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

उत्तर में राज्य सरकार द्वारा बताया गया (नवंबर 2023) कि भूमि क्रय से संबंधित विभिन्न कारणों से प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत कुछ नहरों का निर्माण उनकी पूर्ण लंबाई में नहीं किया गया था। इसके कारण इन नहरों में हाइड्रोलिक संयोजन पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया था। राज्य सरकार ने आगे कहा कि वर्तमान में नहर निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और नहरों में जल छोड़ा जा रहा है।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नमूना जांच किये गये खण्डों में लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2022 तक अनेक नहरों, कुलाबों और सम्प्स का निर्माण कार्य अपूर्ण था, जैसाकि आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी हैः

4.3 नहरों का निर्माण

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, परियोजना के अंतर्गत 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र हेतु 894 नहरों[4] का निर्माण किया जाना था। विभाग ने इन 894 नहरों के निर्माण की नहरवार स्थिति उपलब्ध नहीं करायी जिसके कारण परियोजना के अंतर्गत नहरों के निर्माण और कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन की समग्र स्थिति को लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं किया जा सका।

[4] मुख्य नहरों, शाखा नहरों, राजवाहा नहरों तथा अल्पिका नहरों को सम्मिलित कर|

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने 17 नमूना जांच किये गये खण्डों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 432 नहरों में से 29 नहरों का निर्माण या तो नहीं किया गया अथवा टुकड़ों में किया गया, जैसाकि आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

4.3.1 प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की नहरों का अपूर्ण निर्माण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये पांच खण्डों में[5], आठ नहरों का या तो निर्माण नहीं किया गया अथवा टुकड़ों में किया गया जैसाकि **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की अपूर्ण नहरें

क्रम संख्या	नहर का नाम	उद्गम बिन्दु	कुल लंबाई (किलोमीटर)/ कृषि योग्य समादेश क्षेत्र (हेक्टेयर)	नहर के निर्माण न होने का विवरण			
				गैपों की संख्या	पहले गैप का चैनेज (किलोमीटर)	नहर की अनुपयोगी लंबाई[6] (प्रतिशत)	अनुपयोगी कृषि योग्य समादेश क्षेत्र[7] (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	पायर कोहना अल्पिका	जगदीशपुर राजवाहा	6.20 720	3	1.87	4.323	470
2	नेटुवा अल्पिका	टिनिच राजवाहा	3.15 679	2	1.98	1.17	398
3	कौरहे अल्पिका	मेघवा राजवाहा	3.50 350	4	0.950	3.41	255
4	इटवा शाखा	उतरौला पंप नहर	25.30 33229	अनुपलब्ध	18.30	7.00	9194
5	मैना राजवाहा	इटवा शाखा	18.36 7173	01	11.35	7.01	2739
6	किशुनपुर अल्पिका	नगर राजवाहा	4.65 720	अनुपलब्ध	2.5	2.15	333
7	वीरपुर अल्पिका	नगर राजवाहा	4.81 557	अनुपलब्ध	1.08	3.73	432
8	महादेवरी अल्पिका	हरैया राजवाहा	6.02 873	अनुपलब्ध	5.71	0.31	45
योग			**71.99 44,301**			**29.103 (40)**	**13866 (31)**

(स्रोतः खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

[5] चयनित 17 खण्डों में से पांच खण्ड प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत नहरों के निर्माण में नियोजित थे।

[6] प्रथम गैप के पश्चात नहरों की शेष लंबाई|

[7] खण्डों द्वारा लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण क्रम संख्या 4 से 8 के प्रकरणों में कृषि योग्य समादेश क्षेत्र की आनुपातिक रूप से गणना की गयी|

जैसा कि **तालिका-4.2** से स्पष्ट है, परियोजना के पांच नमूना जांच किये गये खण्डों में 71.990 किलोमीटर नहरें, जिनका कृषि योग्य समादेश क्षेत्र 44,301 हेक्टेयर था, गैप के कारण आंशिक रूप से ही पूर्ण हो पायीं थीं जिसके कारण 29.103 किलोमीटर लम्बाई में नहरें अनुपयोगी रहीं।

4.3.2 तृतीय चरण में अनिर्मित/आंशिक रूप से निर्मित नहरें

लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गये 12 खण्डों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि तृतीय चरण के अंतर्गत राप्ती मुख्य नहर, कैम्पियरगंज शाखा नहर एवं उनकी वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु प्रस्तावित 96 नहरों में से 0.24 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र वाली 18 नहरों का निर्माण मार्च 2022 तक नहीं किया गया था, जैसा कि **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: अनिर्मित नहरों का विवरण

क्रम संख्या	नहर का नाम	पैतृक नहर	कृषि योग्य समादेश क्षेत्र (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सेमरी अल्पिका	पकड़िहवा अल्पिका	1,867
2	जोगिया अल्पिका	बैकुंठपुर राजवाहा	665
3	रामपुर अल्पिका	कैम्पियरगंज शाखा नहर	3,214
4	धारवार अल्पिका	रामपुर राजवाहा	958
5	सोनबरसा अल्पिका	बृजमनगंज राजवाहा	990
6	लक्ष्मीपुर राजवाहा	कैम्पियरगंज शाखा नहर	6,394
7	चैनपुर राजवाहा	लक्ष्मीपुर राजवाहा	580
8	महुरी अल्पिका	लक्ष्मीपुर राजवाहा	1,119
9	ककरही अल्पिका	लक्ष्मीपुर राजवाहा	957
10	सूरापार अल्पिका	लक्ष्मीपुर राजवाहा	465
11	शिवनाथपुर अल्पिका	लक्ष्मीपुर राजवाहा	732
12	पोखरभिंडा अल्पिका	लक्ष्मीपुर राजवाहा	917
13	हरैया अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	1,514
14	रामनगर अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	880
15	चौतरवा अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	746
16	मोहम्मदपुर अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	655
17	गोपालपुर अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	641
18	इन्द्रपुर अल्पिका	धरमपुर राजवाहा	1,176
योग			**24,470**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त के अतिरिक्त, बनकटवा अल्पिका नहर की 9.200 किलोमीटर कुल डिजाइन लंबाई के सापेक्ष 2.210 किलोमीटर तक का निर्माण किया गया था तथा बनकटवा राजवाहा नहर 18.800 किलोमीटर की डिजाइन लंबाई के सापेक्ष मात्र 8.800 किलोमीटर तक निर्मित की गयी थी। इसके अतिरिक्त, 14.000 किलोमीटर लम्बाई की प्रेमपुर राजवाहा नहर में 4.500 किलोमीटर पर एक गैप था।

प्रथम चरण से तृतीय चरण के अंतर्गत नहरों के निर्माण की उपर्युक्त स्थिति नमूना जांच किये गये खण्डों के सम्बन्ध में थी, अत:, राज्य सरकार को परियोजना में प्रस्तावित कार्यों के अनुरूप नहरवार कार्यों की भौतिक पूर्णता की स्थिति का पता लगाना चाहिए तथा परियोजना को पूरी तरह से क्रियाशील बनाने हेतु अवशेष कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिये अविलम्ब कदम उठाने चाहिए।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (नवंबर 2023) कि केंद्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना के 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में से 1.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा दाब/स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से बढ़ायी जानी थी जिसके लिये परियोजना की स्वीकृत लागत में धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नहरों को दाब सिंचाई के अंतर्गत लिया गया है। राज्य सरकार ने आगे बताया कि भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से दाब सिंचाई प्रणाली के निर्माण के लिये परियोजना बनाने का कार्य प्रगति पर था।

तथ्य यथावत रहा कि सरयू नहर परियोजना में परिकल्पित नहरों का निर्माण नहीं किया गया तथा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया, अवशेष कार्यों को एक नयी परियोजना में लिया जा रहा था।

4.4 कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण

कुलाबा एक पक्की संरचना है जो नहर के लिये एक शीर्ष रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। सिंचाई के लिये खेतों तक नहर का जल पहुँचानें हेतु नहर के किनारों पर कुलाबे बनाये जाते हैं। परियोजना में ₹ 104.07 करोड़ की अनुमानित लागत से 17,639 कुलाबों एवं 942 सम्प्स के निर्माण का प्रावधान किया गया था।

राप्ती प्रणाली में निर्मित किसी भी नहर में कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण नहीं हुआ / इसके कारण मार्च 2022 तक नहरों से खेत तक जल की आपूर्ति नहीं की गयी /

लेखापरीक्षा द्वारा मुख्य अभियंता, सरयू नहर परियोजना के अभिलेखों में देखा गया कि मार्च 2022 तक 16,585 कुलाबों का निर्माण किया गया था। कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण न होने के कारण, नहर में जल उपलब्ध होने पर भी इसका उपयोग खेतों में सिंचाई के लिये नहीं किया जा सकता। सम्प्स का निर्माण नहीं करने का प्रतिकूल प्रभाव, राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के अंतर्गत सृजित 2.18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के संबंध में अधिक गंभीर था क्योंकि प्रणाली के अंतर्गत 0.87 लाख हेक्टेयर (40 प्रतिशत) कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का आच्छादन दाब सिंचाई के अंतर्गत किया जाना था। इस संबंध में लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मार्च 2022 तक राप्ती प्रणाली में निर्मित किसी भी नहर में कुलाबा एवं सम्प्स का निर्माण नहीं किया गया था जिसके कारण नहरों से खेतों तक जल आपूर्ति नहीं हुई थी। नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा बताया गया कि कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण भविष्य में अलग परियोजना के माध्यम से किया जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा किये गये स्थलीय भ्रमण में यह देखा गया कि राप्ती प्रणाली के कुछ स्थानों पर किसानों द्वारा जल का उपयोग अपने निजी साधनों से नहरों से जल को पंप करके किया जा रहा था जैसाकि नीचे दिये गये छायाचित्र में भी देखा जा सकता है।

छायाचित्र-4.1: राप्ती मुख्य नहर से पम्प द्वारा जल निकालते कृषक

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि राप्ती मुख्य नहर के किलोमीटर 0.000 से 125.682 के मध्य, वितरण प्रणालियों में कुलाबों/ सम्प्स के निर्माण की परियोजनाओं को 2023-2025 में निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया है।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ₹ 104.07 करोड़ की अनुमानित लागत से 17,639 कुलाबों तथा 942 सम्प्स का निर्माण पहले से ही सरयू नहर परियोजना (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2017) में सम्मिलित था। यद्यपि, मार्च 2022 तक मात्र 16,585 कुलाबे बनाये गये थे तथा सम्प्स का कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। अतः सरयू नहर परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का भाग होने के पश्चात भी, जल को खेत तक ले जाने के लिये राप्ती मुख्य नहर की वितरण प्रणाली में कुलाबों/सम्प्स का निर्माण नहीं किया गया था।

4.5 कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का उपयोग

लेखापरीक्षा में नहर तंत्र के शीर्ष पर जल की उपलब्धता में कमी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप नहर तंत्र में तथा खेतों में जल की अपर्याप्त आपूर्ति हुयी। निर्मित नहरों के समादेश क्षेत्र का विकास भी आवश्यकता से पीछे चल रहा था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

4.5.1 नदियों से जल प्राप्त करने की व्यवस्था

सरयू नहर परियोजना के 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में से 2.18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का सृजन राप्ती रोहिन दोआब (राप्ती मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली) में किया जाना था तथा शेष 9.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र घाघरा राप्ती दोआब में स्थित था। सरयू नदी पर स्थित सरयू बैराज को सरयू योजक नहर के माध्यम से गिरिजा बैराज से 360 क्यूमेक जल प्राप्त होता है। सरयू मुख्य नहर जो सरयू बैराज के बायें किनारे से निकलती है, राप्ती घाघरा दोआब तथा राप्ती रोहिन दोआब, दोनों को जल प्रदान करती है। सरयू मुख्य नहर किलोमीटर 63.150 पर अपनी टेल पर गोंडा और बस्ती शाखाओं में विभाजित हो जाती है। गोंडा तथा बस्ती शाखाओं के अतिरिक्त सात अन्य शाखा नहरों का तंत्र, यथा इमामगंज, तरबगंज, मनकापुर, टिकरी, इटियाथोक, बांसी और खलीलाबाद पूरे घाघरा राप्ती दोआब को आच्छादित करता है। इसी प्रकार से, राप्ती रोहिन दोआब को जल, राप्ती मुख्य नहर जो राप्ती बैराज के बायें किनारे से निकलती है तथा कैम्पियरगंज शाखा नहर जो बाणगंगा नदी से निकलती है, से प्राप्त होता है। सरयू नहर परियोजना के नहर तंत्र में जल की आपूर्ति की योजना को **तालिका 4.4(अ) एवं 4.4(ब)** में भी दर्शाया गया है।

तालिका 4.4(अ): घाघरा राप्ती दोआब में जल की आपूर्ति हेतु नहर प्रणाली का तंत्र

बैराज/पोषक नहर का नाम	जल प्राप्त करने वाली नहरों/बैराज का नाम
गिरिजा बैराज	सरयू योजक नहर
सरयू योजक नहर	सरयू बैराज
सरयू बैराज	सरयू मुख्य नहर एवं इसकी प्रणाली
सरयू मुख्य नहर	(1) इमामगंज शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली (2) बस्ती शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली (3) गोण्डा शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली इसके अतिरिक्त, सरयू मुख्य नहर राप्ती प्रणाली हेतु राप्ती योजक नहर को 95 क्यूमेक जल भी प्रदान करती है।
गोण्डा शाखा	(4) तरबगंज शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली (5) इटियाथोक शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली (6) मनकापुर शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली
मनकापुर शाखा	(7) टिकरी शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली
बस्ती शाखा	(8) बांसी शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली (9) खलीलाबाद शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)

तालिका 4.4(ब): राप्ती रोहिन दोआब की नहर प्रणाली में जल की आपूर्ति का तंत्र

बैराज/पोषक नहर का नाम	जल प्राप्त करने वाली नहरों/बैराज का नाम
राप्ती योजक नहर	राप्ती बैराज
राप्ती बैराज	राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी प्रणाली
राप्ती मुख्य नहर	बाणगंगा बैराज
बाणगंगा बैराज	कैम्पियरगंज शाखा नहर एवं इसकी प्रणाली

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिकाओं में दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि सरयू नहर परियोजना के नहर तंत्र को जल मुख्य रूप से सरयू मुख्य नहर के माध्यम से प्रदान किया जाता है। सरयू मुख्य नहर से इमामगंज, गोंडा और बस्ती शाखा नहरें छः शाखा नहरों को जल प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, सरयू मुख्य नहर, राप्ती योजक नहर के माध्यम से राप्ती मुख्य नहर को भी जल प्रदान करती है।

4.5.1.1 नहर तंत्र में जल की आपूर्ति

परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में फसल हेतु जल की आवश्यकता, खरीफ मौसम के दौरान 76.20 से 359.42 क्यूमेक तथा रबी मौसम के दौरान 14.50 से 178.03 क्यूमेक आंकी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा 2017-22 के मध्य सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में जल की वास्तविक मांग की तुलना में सरयू मुख्य नहर में जल की आपूर्ति किये जाने के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सरयू मुख्य नहर में जल की आपूर्ति की स्थिति **तालिका 4.5 और तालिका 4.6** में दी गयी है।

तालिका 4.5: सरयू मुख्य नहर के संचालन के दिवस

वर्ष	खरीफ (दिवसों की संख्या)			रबी (दिवसों की संख्या)		
	मांग	नहर का संचालन	कमी (प्रतिशत)	मांग	नहर का संचालन	कमी (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017-18	132	106	26 (20)	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	98	63	35 (36)	18	18	शून्य
2019-20	131	123	08 (06)	15	15	शून्य
2020-21	64	61	03 (05)	84	84	शून्य
2021-22	91	78	13 (14)	33	33	शून्य

नोट: 10 प्रतिशत से नीचे की कमी को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

(स्रोत: अधीक्षण अभियंता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका 4.6: सरयू मुख्य नहर में जल की आपूर्ति

वर्ष	खरीफ		रबी	
	उन दिवसों की संख्या जिनमें मांग के अनुसार जल नहीं छोड़ा गया (तालिका संख्या 4.5 के स्तंभ 3 में से)	जल की आपूर्ति में कमी का प्रतिशत[8] (स्तंभ 2 के सापेक्ष दिवसों की संख्या)	उन दिवसों की संख्या जिनमें मांग के अनुसार जल नहीं छोड़ा गया (तालिका संख्या 4.5 के स्तंभ 6 के सापेक्ष)	जल की आपूर्ति में कमी का प्रतिशत (स्तंभ 4 के सापेक्ष दिवसों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017-18	74	14-50 (22) 54-88 (52)	शून्य	शून्य
2018-19	50	11-49 (43) 56-80 (07)	04	23-35 (02) 56-78 (02)
2019-20	61	12-44 (59)	15	48 (01)

[8] कमी का प्रतिशत दो समूहों में स्तम्भ (3) एवं स्तम्भ (5) में दर्शाया गया है जिसमें 11 से 50 प्रतिशत (पहली पंक्ति में) तथा 51 प्रतिशत एवं उससे अधिक (दूसरी पंक्ति में) है|

वर्ष	खरीफ		रबी	
	उन दिवसों की संख्या जिनमें मांग के अनुसार जल नहीं छोड़ा गया (तालिका संख्या 4.5 के स्तंभ 3 में से)	जल की आपूर्ति में कमी का प्रतिशत[8] (स्तंभ 2 के सापेक्ष दिवसों की संख्या)	उन दिवसों की संख्या जिनमें मांग के अनुसार जल नहीं छोड़ा गया (तालिका संख्या 4.5 के स्तंभ 6 के सापेक्ष)	जल की आपूर्ति में कमी का प्रतिशत (स्तंभ 4 के सापेक्ष दिवसों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		55-76 (02)		51-73 (14)
2020-21	23	12-45 (23)	76	13-50 (12) 54-93 (64)
2021-22	21	14-45 (12) 73 (09)	14	40 (02) 51-85 (12)

नोट: 10 प्रतिशत से नीचे की कमी को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

(स्रोत: अधीक्षण अभियंता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि 2017-22 के मध्य जल की मांग के सापेक्ष खरीफ में 11 से 88 प्रतिशत तथा रबी में 13 से 93 प्रतिशत के बीच कम जल की आपूर्ति की गयी। सरयू मुख्य नहर में कम जल[9] आपूर्ति किये जाने से इससे जुड़ी इमामगंज, बस्ती तथा गोंडा शाखा नहरों में जल की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसाकि ***परिशिष्ट 4.1*** में वर्णित है।

2017-22 के मध्य खरीफ मौसम में 10 से 69 प्रतिशत नहरें तथा रबी मौसम में 26 से 85 प्रतिशत नहरें संचालित नहीं की गयीं।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि नमूना जांच किये गये पांच खण्डों[10] में, 2017-22 के मध्य खरीफ में 10 से 69 प्रतिशत नहरें तथा रबी में 26 से 85 प्रतिशत नहरें संचालित नहीं की गयीं। 2017-22 के मध्य नहरों के संचालन का विवरण निम्न प्रकार से था:

[9] अधीक्षण अभियंता, सिंचाई निर्माण मंडल, बहराइच द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 2017-22 के मध्य राप्ती योजक नहर में जल की कोई मांग नहीं थी, इसलिये सरयू मुख्य नहर से राप्ती योजक नहर में कोई जल आपूर्ति नहीं की गयी|

[10] प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण (घाघरा-राप्ती दोआब) की नहरें संचालित थीं। यद्यपि, मार्च 2022 तक तृतीय चरण (राप्ती-रोहिन दोआब) की कोई भी नहर संचालित नहीं थी। 17 खण्डों में से पांच खण्डों को, जो प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की नहरों के संचालन में नियोजित थे, निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित किया गया| ये पांच खण्ड सरयू नहर खण्ड, अयोध्या, सरयू नहर खण्ड-2, गोंडा, सरयू नहर खण्ड-3, गोंडा, सरयू नहर खण्ड-4, गोंडा और सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती हैं।

तालिका 4.7: नमूना जांच किये गये खण्डों में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की नहरों के परिचालन की स्थिति

वर्ष	नहरों[11] की कुल संख्या	कृषि योग्य समादेश क्षेत्र[12]	चलित नहरों की संख्या (स्तंभ 2 का प्रतिशत)		संचालित नहीं की गयी नहरों की संख्या (स्तंभ 2 का प्रतिशत)	
			खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017-18	336	3,80,969	103 (31)	69 (21)	233 (69)	267 (79)
2018-19	336	3,80,969	119 (35)	52 (15)	217 (65)	284 (85)
2019-20	336	3,80,969	210 (63)	111 (33)	126 (37)	225 (67)
2020-21	336	3,80,969	248 (74)	183 (54)	88 (26)	153 (46)
2021-22	336	3,80,969	304 (90)	249 (74)	32 (10)	87 (26)
योग	**336**	**3,80,969**	**(31 से 90)**	**(15 से 74)**	**(10 से 69)**	**(26 से 85)**

(स्रोतः नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

संबंधित खण्डों द्वारा बताया गया कि नहरों का संचालन जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। राज्य सरकार ने उत्तर में (नवंबर 2023) वर्ष 2022-23 में (रबी और खरीफ दोनों मौसम में) तथा 2023-24 में (केवल खरीफ के मौसम में) नहर प्रणाली में जल छोड़े जाने का विवरण प्रदान किया तथा बताया कि 2022-23 एवं 2023-24 के मध्य मांग के सापेक्ष लगभग शत-प्रतिशत सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार द्वारा नहरों के संचालन न होने से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया तथा बताया (नवंबर 2023) कि समस्त पूर्ण नहरों को दिसंबर 2021 में परियोजना के लोकार्पित होने के बाद से संचालित किया जा रहा था।

यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा 2017 से 2022 के मध्य कम जल की आपूर्ति जैसाकि लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था, के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का यह कथन भी स्वीकार्य नहीं था कि मांग के अनुरूप नहरों से जल उपलब्ध कराया जा रहा था क्योंकि सरकार द्वारा उत्तर में उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार रबी मौसम में सरयू मुख्य नहर में कम जल छोड़ा गया था (जनवरी 2023 के 11 दिवसों में मात्र 29 से 53 प्रतिशत, फरवरी 2023 के 20 दिवसों में 26 से 70 प्रतिशत तथा मार्च 2023 के 21 दिवसों में 26 से 74 प्रतिशत)।

[11] सरयू नहर खण्ड, अयोध्या (62 नहरें), सरयू नहर खण्ड-2, गोंडा (52 नहरें), सरयू नहर खण्ड-3, गोंडा (31 नहरें), सरयू नहर खण्ड-4, गोंडा (91 नहरें) तथा सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती (100 नहरें)।

[12] यह कृषि योग्य समादेश क्षेत्र गोण्डा, मनकापुर, टिकरी, इटियाथोक, खलीलाबाद एवं बस्ती शाखा नहरों एवं इनकी वितरण प्रणाली से संबंधित है।

अग्रेतर, परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिये विभाग द्वारा किये गये हाईड्रोलोजिकल सर्वे में रबी के मौसम में परियोजना की नहरों में कम जल की उपलब्धता का उल्लेख किया गया था। रबी मौसम के लिये जल की अपर्याप्त उपलब्धता अभी भी बनी हुयी है। अत: परियोजना के समादेश क्षेत्र में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिये समाधानों की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता थी जिससे की किसानों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।

नहरों में कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण न होने के कारण मार्च 2022 तक, राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रस्तावित सिंचाई प्रारम्भ नहीं हुयी थी।

4.6 सिंचाई आच्छादन

सरयू नहर परियोजना में दो फसली मौसम के दौरान, 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में 14.04 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया, जिसमें रबी: 4.80 लाख हेक्टेयर एवं खरीफ: 9.24 लाख हेक्टेयर सम्मिलित है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में 2017-22 के मध्य सिंचन क्षमता में कमी पायी गयी जैसाकि **तालिका 4.8** तथा **लेखाचित्र 4.1** एवं **4.2** में बताया गया है।

तालिका 4.8: सिंचाई आच्छादन का विवरण

(क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

वर्ष	खरीफ			रबी		
	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	कमी (प्रतिशत)	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	कमी (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017-18	9.24	2.07 (22)	7.17 (78)	4.80	0.87 (18)	3.93 (82)
2018-19	9.24	2.14 (23)	7.10 (77)	4.80	0.99 (21)	3.81 (79)
2019-20	9.24	3.59 (39)	5.65 (61)	4.80	1.68 (35)	3.12 (65)
2020-21	9.24	4.29 (46)	4.95 (54)	4.80	2.19 (46)	2.61 (54)
2021-22	9.24	4.80 (52)	4.44 (48)	4.80	2.89 (60)	1.91 (40)

(स्रोतः मुख्य अभियंता, सरयू परियोजना-1, अयोध्या द्वारा प्रदान की गई सूचना)

लेखाचित्र 4.1: खरीफ में सिंचाई सघनता में उपलब्धि

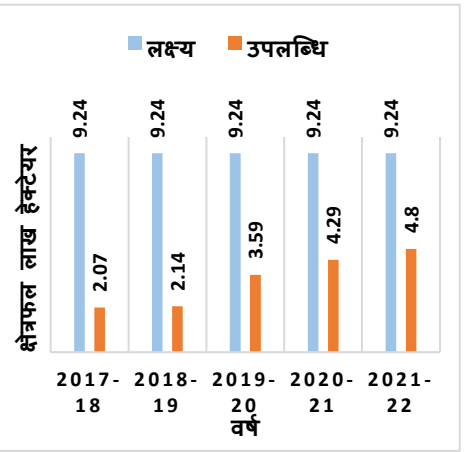

लेखाचित्र 4.2: रबी में सिंचाई सघनता में उपलब्धि

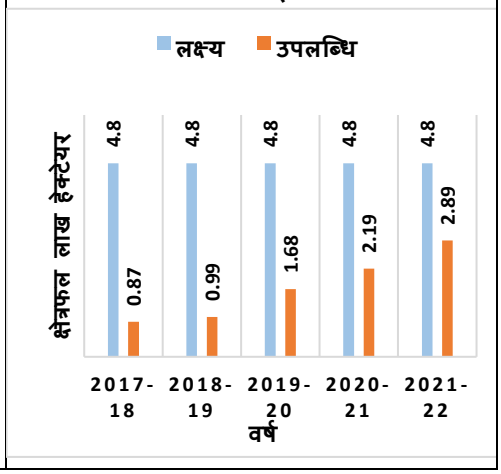

नमूना जांच किये गये खण्डों में सिंचाई सघनता में उपलब्धि की स्थिति ***परिशिष्ट 4.2*** में दी गयी है। इस प्रकार, खरीफ की अवधि में सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार में 48 से 78 प्रतिशत के बीच कमी थी, जबकि नमूना जांच किये गये खण्डों में यह 41 से 80 प्रतिशत की थी। इसी प्रकार, रबी में कुल कमी 40 से 82 प्रतिशत के मध्य थी, जबकि नमूना जांच किये गये खण्डों में यह कमी 32 से 86 प्रतिशत के मध्य थी। अन्य कारणों में, नहरों से खेतों तक जल ले जाने के लिये कुलाबों एवं सम्प्स के अभाव में राप्ती मुख्य नहर प्रणाली के अंतर्गत सृजित 2.18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र (सिंचन क्षमता: 3.27 लाख हेक्टेयर) का उपयोग न होना था, जिससे सिंचन क्षमता के सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों में भी अत्यधिक गिरावट आयी।

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि समादेश क्षेत्र के विकास का कार्य ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा था, जिसके पश्चात, परियोजना के संपूर्ण समादेश क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिये जल सुगमता से मिल सकेगा।

तथ्य यथावत रहा कि परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात भी, खरीफ और रबी दोनों फसलों हेतु निर्धारित सिंचाई लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

4.7 समादेश क्षेत्र का विकास

मार्च 2023 तक परियोजना के मात्र 20 प्रतिशत क्षेत्र में समादेश क्षेत्र विकास का कार्य पूर्ण हुआ।

खेतों में नहर के जल का इष्टतम उपयोग नहर प्रणाली के समादेश क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम को समग्र रूप से लागू किया जाना चाहिए जिससे कि सृजित सिंचन क्षमता का उपयोग उसका सृजन होने के तुरंत बाद हो सके, जल उपयोग दक्षता में सुधार हो, कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हो तथा सहभागी परिवेश में सिंचित कृषि में सततता बनी रहे।

भारत सरकार द्वारा सितंबर 2015 में निर्गत समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार समादेश क्षेत्र विकास की गतिविधियों में अन्य के साथ, सर्वेक्षण, नियोजन, डिजाइन तथा गुल निर्माण सहित कृषि भूमि पर विकास कार्य का निष्पादन सम्मिलित था। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम को 2015-16 के बाद से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी के अंतर्गत लागू किया गया। सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम में कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई ढांचे का विकास करनें का लक्ष्य है जिससे कि स्प्रिंकलर, रेन गन, पिवट इत्यादि के लिये भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली आदि जैसे उपकरणों के उपयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी, नहर प्रणालियों के समादेश क्षेत्र के विकास के लिये उत्तरदायी है। ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा 1999-2000 में तीन चरणों में सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र के विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसका विवरण **तालिका 4.9** में दिया गया है।

तालिका 4.9: समादेश क्षेत्र के विकास हेतु किये गये कार्यों का विवरण

चरण	प्रस्तावित क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	वर्ष जिसमें कार्य प्रारंभ किया गया	पूर्ण होने का वर्ष	विकसित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	व्यय (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रथम चरण	1.62	124.00	1999-00	2008-09	1.62	143.96
द्वितीय चरण	2.80	571.90	2009-10	अपूर्ण	0.65	उपलब्ध नहीं कराया गया

चरण	प्रस्तावित क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	वर्ष जिसमें कार्य प्रारंभ किया गया	पूर्ण होने का वर्ष	विकसित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	व्यय (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तृतीय चरण	4.80	उपलब्ध नहीं कराया गया	2021-22	प्रगति पर	प्रगति में	6.26[13]
योग	**9.22**				**2.27**	

(स्रोत: ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना)

सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत सृजन हेतु कुल प्रस्तावित 11.29 लाख हेक्टेयर में से, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी ने प्रथम चरण के अंतर्गत 11,894.621 किलोमीटर कच्ची गुलों, 1,347.39 किलोमीटर पक्की गुलों तथा 353.66 किलोमीटर जल निकास नालियों का निर्माण कर 1.62 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र (205 नहरें) का विकास किया (1999-2009)। अग्रेतर, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा 2009-10 में द्वितीय चरण के अंतर्गत 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विकास कार्य प्रारम्भ किया गया परन्तु मार्च 2018 तक मात्र 0.65 लाख हेक्टेयर (23 प्रतिशत) क्षेत्र ही विकसित हुआ। इस संबंध में अभिलेखों की अग्रेतर जांच से पता चला कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने द्वितीय चरण (1.64 लाख हेक्टेयर[14]) के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिये 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' के अंतर्गत धन की मांग हेतु फरवरी 2019 में भारत सरकार को एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रेषित किया। यद्यपि भारत सरकार ने, द्वितीय चरण के शेष क्षेत्र (1.64 लाख हेक्टेयर) तथा ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा नहीं लिये गये 2.07 लाख हेक्टेयर[15] क्षेत्र (कुल 3.71 लाख हेक्टेयर[16]) के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया

[13] मार्च 2023 तक|

[14] द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र = 2.80 लाख हेक्टेयर - 0.51 लाख हेक्टेयर (अनुपयोगी क्षेत्र) - 0.65 लाख हेक्टेयर (विकसित क्षेत्र) = 1.64 लाख हेक्टेयर|

[15] 11.29 लाख हेक्टेयर - (1.62 + 2.80 + 4.80) लाख हेक्टेयर = 2.07 लाख हेक्टेयर|

[16] सिचाई एव जल संसाधन विभाग द्वारा कुल सृजित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र = 11.29 लाख हेक्टेयर| ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा प्रथम चरण में 1.62 लाख हेक्टेयर तथा द्वितीय चरण में 0.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया गया| ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा 0.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अनुपयोगी घोषित किया गया तथा तृतीय चरण में 4.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया| इस प्रकार, 3.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित किया जाना शेष था|

(जुलाई 2019)। यद्यपि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने मार्च 2023 तक पुनरीक्षित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया था।

इसके अतिरिक्त, तृतीय चरण के अंतर्गत 4.80 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र विकसित करने का कार्य भी 2021-22 में प्रारम्भ किया गया जो मार्च 2023 तक सर्वेक्षण तथा निविदा के चरण में था।

इस प्रकार, मार्च 2023 तक, सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कुल सृजित 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में से मात्र 2.27 लाख हेक्टेयर (20 प्रतिशत) क्षेत्र ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा विकसित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया तथा नमूना जांच की गयी नहरों के समादेश क्षेत्र में गुलों का न्यूनतम अस्तित्व देखा गया। नमूना जांच की गयी 35 नहरों में से मात्र एक नहर (चिलबिला अल्पिका नहर, सरयू नहर खण्ड, अयोध्या) में गुलें निर्मित पायी गयी। लेखापरीक्षा द्वारा दो नहरों के संबंध में यह भी पाया गया कि नहरों में कुलाबे स्थापित किये गये थे परन्तु खेतों तक जल ले जाने के लिये गुलों का निर्माण नहीं किया गया था जैसाकि नीचे दिये गये छायाचित्रों में देखा जा सकता है:

गुल रहित कुलाबों के छायाचित्र

छायाचित्र-4.2: बिरमापुर अल्पिका नहर	**छायाचित्र-4.3 चिलबिला अल्पिका नहर**[17]

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2023) कि भारत सरकार द्वारा सिंचाई के अंतर को पाटने हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरयू नहर परियोजना तृतीय चरण, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा द्वितीय चरण, बाणसागर नहर परियोजना तथा 15 अन्य परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत

[17] सरयू नहर खण्ड-4, गोंडा के अंतर्गत|

परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इन 15 परियोजनाओं में सरयू नहर परियोजना द्वितीय चरण (शेष क्षेत्र: 2.15 लाख हेक्टेयर) सम्मिलित था| तत्पश्चात, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी ने, 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' के अंतर्गत 1.64 लाख हेक्टेयर के विकास के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया तथा इसे अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित कर दिया। उत्तर में भारत सरकार द्वारा 1.64 लाख हेक्टेयर के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के स्थान पर 3.71 लाख हेक्टेयर हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया। राज्य सरकार द्वारा आगे बताया गया कि सरयू और राप्ती नहर प्रणालियों के पूर्ण होने के पश्चात शेष क्षेत्र के विकास के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिये प्रेषित किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि अधिकांश नहरों में कुलाबों का निर्माण पूरा हो चुका है।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया जिनके अंतर्गत 2009-10 से 2017-18 के मध्य मात्र 0.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का ही विकास किया जा सका। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने भारत सरकार की अपेक्षानुसार नवंबर 2023 तक 3.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जिसके कारण द्वितीय चरण के अंतर्गत 2.15 लाख हेक्टेयर में कार्य अपूर्ण रहा। परिणामस्वरूप, समादेश क्षेत्र का विकास पिछड़ गया तथा सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कुल 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में से मात्र 20 प्रतिशत क्षेत्र का विकास ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा नवंबर 2023 तक किया गया।

4.7.1 समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के घटकों का निष्पादन न किया जाना

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः, कृषि भूमि पर विकास कार्य जिसमें पक्की गुलों का निर्माण, पक्की जल निकासी नाली, मध्यवर्ती एवं योजक नालों का निर्माण, प्रणालीगत कमियों में सुधार एवं जल जमाव वाले क्षेत्रों का पुनरोद्धार, प्रत्येक परियोजना कम से कम 10 प्रतिशत कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई सुविधा का सृजन, सॉफ्टवेयर गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण, अनुश्रवण, मूल्यांकन, जल उपयोग दक्षता के सम्बन्ध में प्रदर्शन एवं अनुकूलन परीक्षण तथा पंजीकृत जल

उपयोगकर्ता संघों को कार्यात्मक/आधारभूत संरचना हेतु एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाना था। सितम्बर 2015 में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के सभी पहलुओं को एकीकृत, समेकित तथा समन्वित रूप से लिये जाने की आवश्यकता थी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2023 तक 2.27 लाख हेक्टेयर[18] क्षेत्र के विकास में, घटकों जैसे प्रणाली की कमियों का सुधार तथा जल-जमाव वाले क्षेत्रों का पुनरोद्धार, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का कम से कम 10 प्रतिशत, सॉफ्टवेयर गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण, अनुश्रवण, मूल्यांकन, जल उपयोग दक्षता के सम्बन्ध में प्रदर्शन एवं अनुकूलन परीक्षण तथा पंजीकृत जल उपयोगकर्ता संघों को एक बार कार्यात्मक/आधारभूत संरचना अनुदान को निष्पादित नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में '*पर ड्राप मोर क्रॉप*' घटक के अंतर्गत कुशल जल संवाहक तथा खेत में ड्रिप, स्प्रिंकलर, पिवोट्, रेन गन जैसे सटीक जल उपयोगी उपकरणों को बढ़ावा देना, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने पर जल को संग्रहित करने के लिये नहर प्रणाली के अंतिम छोर पर अतिरिक्त जल भंडारण संरचनायें, वैज्ञानिकता के साथ नमी संरक्षण एवं कृषि विज्ञान संबंधी उपायों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रसार गतिविधियां, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान, जल उपयोग दक्षता के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी गतिविधियाँ, समुचित सिंचाई प्रौद्योगिकी, खेतों में जल प्रबंधन, सही समय पर सही फसल का चयन, आदि सम्मिलित थे। प्रदेश में इस योजना को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने क्रियान्वित किया।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, लखनऊ के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत आच्छादित आठ जनपदों[19] में ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु वर्ष 2017-22 में वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों को प्राप्त

---

[18] प्रथम चरण के कार्यों (1.62 लाख हेक्टेयर) के संबंध में घटक-वार विवरण प्रदान किया गया था तथा 0.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के द्वितीय चरण में विकास के संबंध में समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के घटकों के निष्पादन का विवरण प्रदान नहीं किया गया था।

[19] गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर तथा सिद्धार्थनगर। महराजगंज के संबंध में सूचनाये उपलब्ध नहीं करायी गयी।

नहीं किया गया। आठ जनपदों में 2017-22 के मध्य धन आवंटन और उसके सापेक्ष व्यय का विवरण ***परिशिष्ट 4.3(अ)*** में दिया गया है तथा **तालिका 4.10** में इन्हें सारांशित किया गया है।

तालिका 4.10: '*पर ड्राप मोर क्रॉप*' योजना में वित्तीय उपलब्धियाँ

वर्ष	वित्तीय उपलब्धियाँ (₹ लाख में)		
	आवंटन	व्यय (प्रतिशत)	समर्पण (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017-18	618.66	377.65 (61)	241.01 (39)
2018-19	973.90	947.58 (97)	26.32 (03)
2019-20	1,886.92	1,781.45 (94)	105.47 (06)
2020-21	2,512.50	2,499.02 (99)	13.48 (01)
2021-22	1,835.88	1,814.07 (99)	21.81 (01)

(स्रोत: निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें)

आठ जनपदों में 2017-22 के मध्य '*पर ड्राप मोर क्रॉप*' के भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 2017-18 में 20 से 72 प्रतिशत, 2018-19 में 39 से 100 प्रतिशत, 2019-20 में 71 से 100 प्रतिशत, 2020-21 में 21 से 100 प्रतिशत तथा 2021-22 में 15 से 63 प्रतिशत थी जैसाकि ***परिशिष्ट 4.3(ब)*** में वर्णित है। भौतिक लक्ष्यों में कमी, मुख्य रूप से नयी तकनीक को धीमी गति से अपनाने, अनुसूचित जाति उप योजना के इच्छुक एवं उपयुक्त कृषकों तथा लाभार्थियों की अनुपलब्धता तथा कोविड-19 महामारी के कारण थी। इस प्रकार, परियोजना के समादेश में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (नवंबर 2023) कि नहरों में जल संचालन होने के बाद ही गुलों एवं दाब कुओं का निर्धारण तथा निर्माण संभव था। राज्य सरकार ने आगे कहा कि 1.01 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में दाब/स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई प्रदान की जानी थी जिसके लिये धन का प्रावधान सरयू नहर परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 9,802.68 करोड़ में सम्मिलित नहीं था। राज्य सरकार ने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात, दाब सिंचाई के माध्यम से 900 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने के लिये भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की परियोजना पर पायलट परियोजना के रूप में कार्य प्रारम्भ किया गया था जो प्रगति पर था।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना लागत ₹ 9,802.68 करोड़ में, राप्ती मुख्य नहर तथा कैंपियरगंज शाखा नहर एवं

राजवाहा और अल्पिका नहरों के विभिन्न स्थानों पर सम्प्स (दाब कुआँ) के निर्माण के लिये ₹ 16.14 करोड़ सम्मिलित था।

4.7.2 जल उपयोगकर्ता संघ का गठन नहीं किया जाना

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कुलाबा, अल्पिका तथा राजवाहा नहर स्तर पर जल उपयोगकर्ता संघ का गठन किया जाना था, जिसका मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन में जल उपयोगकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा जल उपयोगकर्ताओं के बीच उनके क्षेत्र में स्थित सिंचाई प्रणाली के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा करना था।

यद्यपि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में जल उपयोगकर्ता संघ का गठन नहीं हुआ था जिससे नहर तंत्र का कुशल संचालन प्रभावित हुआ।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (नवंबर 2023) कि सरयू नहर परियोजना के प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण में निर्मित नहरों के समादेश क्षेत्र में जल उपयोगकर्ता संघ के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

तथ्य यथावत रहा कि नहरों से जल वितरण के सबसे आवश्यक घटकों में से एक को निष्पादित नहीं किया जा सका, जिसके कारण जनभागीदारी के साथ नहरों में उपलब्ध जल के इष्टतम उपयोग का उद्देश्य नवंबर 2023 तक अप्राप्त रहा।

4.8 नहरों का अनुरक्षण

सृजित परिसंपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिये नहर संरचनाओं का उचित एवं आवधिक रखरखाव महत्वपूर्ण है। नियमित सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन के माध्यम से रखरखाव की आवश्यकता का आकलन, पर्याप्त धन की समय से उपलब्धता तथा नहरों के रखरखाव की प्रभावी प्रणाली वे घटक हैं जो संरचनाओं को उपयोग योग्य बनाये रखते हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षमता की नहरों के रखरखाव हेतु वित्त पोषण के संबंध में मानक[20] निर्धारित (दिसंबर 2000) किये गये थे।

[20] मुख्य नहर, शाखा तथा राजवाहा नहरों के लिये ₹ 210 प्रति हेक्टेयर तथा अल्पिका नहरों के लिये ₹195 प्रति हेक्टेयर|

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-22 के मध्य, नहरों के रखरखाव हेतु सरयू नहर परियोजना के मुख्य अभियंताओं को ₹100.81 करोड़ आवंटित किये गये थे, जिसमें नमूना जांच किये गये पांच खण्डों को नहर रखरखाव के लिये आवंटित ₹ 23.79 करोड़ सम्मिलित थे। यद्दपि, प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सरयू नहर परियोजना को बजट आवंटित किये जाने का कोई आधार नहीं बताया गया।

नमूना जांच किये गये पांच खण्डो में 2017-22 की अवधि में मानकों के सापेक्ष प्रति वर्ष धन की आवश्यकता एवं आवंटन का विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: नमूना जाँच किये गये खण्डों को बजट आवंटन

(₹ लाख में)

खण्ड का नाम	**कुल नहरों की संख्या**	**कुल कृषि योग्य समादेश क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**मानक के अनुसार प्रतिवर्ष धन की आवश्यकता**	**धन का आवंटन (प्रतिशत में)**				
				2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	62	42,522	93.22	44.47	77.20	126.33	71.22	268.41
सरयू नहर खण्ड-2, गोंडा	52	79,534	161.94	10.00	8.00	6.00	48.86	196.45
सरयू नहर खण्ड-3, गोंडा	31	69,214	142.07	10.00	8.00	7.00	55.13	155.56
सरयू नहर खण्ड-4, गोंडा	91	1,15,836	232.37	10.00	18.00	28.86	58.37	259.03
सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	100	73,863	148.84	11.23	26.28	295.48	197.02	382.52
कुल योग	**336**	**3,80,969**	**778.44**	**85.70 (11)**	**137.48 (18)**	**463.67 (60)**	**430.60 (55)**	**1,261.97 (162)**

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये खण्डो से एकत्रित आंकड़े)

नमूना जांच किये गये पांच खण्डों ने 2017-22 के मध्य नहरों के रखरखाव के लिये धन की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया, जिसके कारण आवश्यकता के सापेक्ष धन की पर्याप्तता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यद्दपि, वर्ष 2000 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के सापेक्ष 2017-21 के मध्य नमूना जांच किये गये पाँच खण्डो को धनराशि का आवंटन मात्र 11 से 55 प्रतिशत था। यद्दपि, 2021-22 में धनराशि का आवंटन मानकों से अधिक (162 प्रतिशत) था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त वर्णित नमूना जांच किये गये पांच खण्डो में नहरों के रखरखाव के निष्पादन की भी जांच की गयी तथा पाया कि 2017-22 के मध्य, मात्र 12 से 83 प्रतिशत नहरों को रखरखाव के लिये लिया गया था जैसाकि **तालिका 4.12** में वर्णित है।

तालिका 4.12: 2017-22 के मध्य रखरखाव के लिये ली गयी नहरों का विवरण

खण्ड का नाम	कुल नहरों की संख्या	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
		नहरों की संख्या (प्रतिशत)	नहरों की संख्या (प्रतिशत)	नहरों की संख्या (प्रतिशत)	नहरों की संख्या (प्रतिशत)	नहरों की संख्या (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सरयू नहर खण्ड, अयोध्या	62	25 (40)	28 (45)	32 (52)	12 (19)	17 (27)
सरयू नहर खण्ड-2, गोंडा	52	07 (13)	08 (15)	06 (12)	16 (31)	50 (96)
सरयू नहर खण्ड-3, गोंडा	31	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	16 (52)	31 (100)
सरयू नहर खण्ड-4, गोंडा	91	08 (09)	04 (04)	17 (19)	27 (30)	85 (93)
सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती	100	00 (00)	06 (06)	39 (39)	14 (14)	95 (95)
कुल योग	**336**	**40 (12)**	**46 (14)**	**94 (28)**	**85 (25)**	**278 (83)**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्य पर व्यय की अनुसूची)

खण्डों द्वारा बताया गया कि धन की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत तथा नहरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रख-रखाव का कार्य किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित नहरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से नहरों की ख़राब स्थिति संज्ञान में आयी जिसमें नहरें झाड़ियों/वनस्पतियों से पटी पड़ी थीं तथा अनेक नहरों के तट क्षतिग्रस्त थे जैसा कि नीचे दिये गये छायाचित्रों में दर्शाया गया है:

नहरों के खराब रखरखाव को दर्शाते छायाचित्र

छायाचित्र 4.4: चिलबिला अल्पिका नहर

छायाचित्र 4.5: उदयपुर अल्पिका नहर

छायाचित्र 4.6: बीरमापुर अल्पिका नहर

छायाचित्र 4.7: नारायणपुर राजवाहा नहर

उत्तर में राज्य सरकार द्वारा बताया (जनवरी 2024) गया कि सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत नहरों के वार्षिक अनुरक्षण हेतु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ₹ 151.84 करोड़ की राशि का अनुमान लगाया गया जो अगले वर्ष के बजट प्रावधानों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित है।

इस प्रकार, परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक के निष्पादन में तदर्थता थी जिसके कारण परियोजना के अंतर्गत निर्मित नहरें भौतिक रूप से अत्यंत क्षतिग्रस्त स्थिति में थीं।

4.9 मानव संसाधन उपलब्धता

सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के लिये, नियोजन के अतिरिक्त अन्य पहलुओं जैसे तकनीकी, कृषि, पर्यावरणीय तथा वित्तीय योजना के साथ-साथ मानव संसाधन सहित उपयुक्त और पर्याप्त संगठनात्मक संरचना पर भी विचार किया जाना चाहिए तथा उचित अभिलेखीकरण के साथ पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन लगाया जाना चाहिये|

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित सिंचाई आदेशों का नियम संग्रह के अनुसार जिलेदार के साथ उप राजस्व अधिकारी नहर से राजस्व तथा राजस्व स्थापना से संबंधित प्रकरणों के लिये उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त अमीन, सिंचाई के मापन और राजस्व संग्रह के लिये जमाबंदी[21] तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। पतरोल का कार्य नहरों में जल प्रवाह के गेज को पढ़ना एवं सूचित करना है तथा प्रत्येक माह की 10वीं एवं 25वीं तिथि को गेज प्रतिवेदन में उस तिथि तक कुल सिंचित क्षेत्रों की सूचना देना है, साथ ही यह सूचना प्रपत्र 14ब में प्रत्येक माह की 25वीं तिथि तक जिलेदार को प्रस्तुत करना है।

मानव संसाधनों की कमी के कारण अभिलेखों का रखरखाव प्रभावित हो रहा था।

नमूना जांच किये गये खण्डों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा में प्रमुख मानव संसाधनों की कमी पायी गयी, जिससे सरयू नहर परियोजना का संचालन प्रभावित हुआ। लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गये 17 खण्डों में से 14 में पाया गया कि में 10 से 52 प्रतिशत पदों के संबंध में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त नहीं थे तथा यह कमी छह से 100 प्रतिशत के बीच थी। मानव संसाधन की कमी जिलेदार, सींच पर्यवेक्षक[22] और सींचपाल[23] जैसे पदों के संबंध में अधिक गंभीर थी, जो नहरों के संचालन तथा नहर राजस्व संबंधी प्रकरणों की देखरेख के लिये उत्तरदायी थे। नमूना जांच किये गये 17 खण्डों में से 14 में पाया गया कि उप राजस्व अधिकारी/जिलेदार नियुक्त नहीं थे तथा अन्य कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी, जो 11 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है। कर्मचारियों की कमी के कारण, सभी नमूना जांच किये गये खण्डों में नहरों के संचालन से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव बहुत खराब था।

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2024) कि राजस्व संबंधी कार्य आकस्मिकता मद के अंतर्गत ठेकेदारों से मानवशक्ति किराये पर लेकर निष्पादित किये गये।

यद्यपि, लेखापरीक्षा को नमूना जांच किये गये खण्डों में ऐसी नियुक्ति के संबंध में अभिलेखों में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

---

[21] प्रदान की गयी सिंचाई तथा लाभार्थियों से राजस्व संग्रहण के अभिलेख|

[22] जमाबंदी तैयार करना, जल उपयोगकर्ता संघ की सहायता करना तथा सींचपाल के कार्यों का अनुश्रवण करना।

[23] जल के गेज को अंकित करना एवं सूचित करना, कुलाबों की उपयुक्तता को सूचित करना, सिंचित क्षेत्र का अंकन करना आदि।

संक्षेप में, सरयू नहर परियोजना दिसंबर 2021 में लोकार्पित हुयी, जबकि कार्यों के सभी घटक पूर्ण नहीं हुए थे। नहरों के अपूर्ण निर्माण के कारण परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन में कमी थी। इसके अतिरिक्त, कुलाबों एवं सम्प्स का निर्माण न होने के कारण खेतों तक जल नहीं पहुँचाया जा सका तथा नहरों में जल की उपलब्धता होने के पश्चात भी सृजित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो रहा था। सरयू मुख्य नहर में 2017-22 के मध्य खरीफ में मांग के सापेक्ष जल की आपूर्ति में 11 से 88 प्रतिशत तथा रबी में 13 से 93 प्रतिशत की कमी थी। नहरों के पर्याप्त रखरखाव में कमी थी जिससे कारण परियोजना के अन्तर्गत निर्मित नहरें क्षतिग्रस्त हुयीं।

समादेश क्षेत्र विकास का कार्य सृजित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के एक छोटे से भाग में ही पूर्ण किया गया था जिसके कारण प्रस्तावित सिंचाई सुविधा का विस्तार घाघरा राप्ती दोआब एवं राप्ती रोहिन दोआब में नहीं किया जा सका। जल उपयोगकर्ता संघों का गठन नहीं किया गया। नमूना जांच किये गये खण्डों में महत्वपूर्ण कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गयी जिसके कारण नहरों के संचालन से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव अपर्याप्त था।

अनुशंसा 9: *राज्य सरकार को कार्यों की भौतिक पूर्णता तथा कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन की स्थिति का तत्काल निर्धारण करना चाहिये तथा तदनुसार ही शेष कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिये।*

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि अनेक स्थानों पर रेलवे पुलों का निर्माण किया जाना है तथा कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण न होने के कारण नहरों का संचालन बाधित था। राज्य सरकार ने अग्रेतर कहा कि इन प्रकरणों में कार्यवाही लगभग पूर्ण कर ली गयी है।

अनुशंसा 10: *राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्मित नहरों को कुलाबों तथा सम्प्स एवं कुलाबों से आगे गुलों एवं नालियों का निर्माण करके तत्काल उपयोग में लाया जाना चाहिये।*

अनुशंसा 11: *सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में पर्याप्त जल, विशेषकर रबी मौसम में, उपलब्ध कराने हेतु समाधानों की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है जिससे कि कृषकों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।*

अनुशंसा 12: *सृजित कृषि योग्य समादेश क्षेत्र तथा उपयोग किये जा रहे कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के मध्य बड़े अंतर के दृष्टिगत समादेश क्षेत्र विकास के कार्यों की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है।*

अनुशंसा 13: *नहर तंत्र में उपलब्ध जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये जल उपयोगकर्ता संघों का गठन शीघ्र किया जाना चाहिये।*

अनुशंसा 14: *सृजित संपत्तियों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिससे कि अपेक्षित लाभ प्राप्त करने हेतु इन्हें उपयोग करने योग्य बनाये रखा जाये।*

(राम हित)

प्रयागराज — प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

दिनांक 13 अप्रैल 2025 — उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक 17 APR 2025